न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—96/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/96)

1. अशोक कुमार पुत्र श्रीकृष्ण जी
2. मुन्नालाल पुत्र श्रीकृष्ण जी
   समस्त जाति दर्जी निवासी पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कैलाश पुत्र छीतर
2. किशोर पुत्र छीतर
3. दिनेश पुत्र छीतर
4. कमला पुत्री भंवरलाल (नाम तर्क)
5. ग्यारसी पुत्री भंवरलाल
6. नैनी पुत्री भंवरलाल
7. प्रेम पुत्री भंवरलाल
8. रघुनाथ पुत्र भंवरलाल
9. अशोक कुमार उर्फ पप्पू पुत्र जंवरीलाल
10. कैलाश पुत्र देवाराम
11. भंवरलाल पुत्र देवाराम
12. शांति पत्नी जगदीश (नाम तर्क)
13. दिलीप पुत्र जगदीश
    समस्त निवासी पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
14. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीसांगन जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.02.2022 राजस्व वाद संख्या 7/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अजीतसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3,10,11,13।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 09, 14 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–02.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 7/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के यहां एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसे नजरअंदाज कर उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने अपने आदेश दिनांक 10.2.2022 के द्वारा तहसीलदार पीसांगन के पत्र क्रमांक 701 दिनांक 12.2.2021 के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट जो हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब कर तहसीलदार पीसांगन के समक्ष पेश की जिस पर तहसीलदार ने अपने काउन्टर हस्ताक्षर कर उक्त रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय को प्रेषित की गई जिसे आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.2.2022 पारित कर अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से नया रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 03, 10, 11,13 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 11, 14 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया की रेस्पोडेंट ने कभी भी आने जाने के लिए अपीलांटस की आराजी का उपयोग व उपभोग नहीं किया रेस्पोडेंट का उसकी आराजी तक आवागमन हेतु रास्ता उसके खेत खसरा नम्बर 979 के पूर्व दिशा से लगते हुए खसरा नम्बर 980 की उत्तर दिशा से होते हुए खसरा नम्बर 973/4775 के दक्षिणी सीमा के सहारे से उपलब्ध है जो कि रेस्पोडेंट के अन्य परिवारजन रेस्पोडेंट संख्या 9 की आराजी कृषि भूमि है जो कि ग्राम की मुख्य सडक जिस पर ग्रेवल सडक बनी हुई है, खसरा नम्बर 1005 है से जुडा हुआ है जिसमें मौके पर रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग के कदीमी काल से लिया जा रहा है और रेस्पोडेंट द्वारा आज दिनांक तक उक्त मार्ग से ही आवागमन व अपने खेत की बुवाई, निराई गुडाई आदि कार्य किया जा रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा बताया गया रास्ता स्वयं की निजी खातेदारी का रास्ता है जो कि संयुक्त खातेदारी आराजी में विभाजन को लेकर पारिवारिक विवाद को लेकर स्वयं खातेदारी द्वारा अपने निजी उपयोग उपभोग के लिए शामलाती की खातेदारी के रूप में छोडा गया है जिससे रेस्पोडेंट अपने हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग कर सके एवं उक्त आराजी जिससे रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते की मांग की गई है पर उसके खातेदारों में आपस में विवाद बंटवारे को लेकर चल रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा मांग किया गया रास्ता अपीलांटस की खातेदारी आराजी नम्बर 849/4985 से मांगा गया है लेकिन उक्त खातेदारी आराजी रास्ता से मुख्य रास्ता ग्रेवल सडक खसरा नम्बर 1005 तक के बीच खसरा नम्बर 849, 849/5974, 849/4986, 849/5090, 849/5946, 849/5949, 849/5953, 849/5952 की आराजी आती है जिनके खातेदारों को वर्तमान प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया जो कई व्यक्तियों की खातेदारी आराजी है एवं मौके पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने –अपने

खातेदारी रास्ता को बुवाई की जाती रही है। जो रास्ता आगे चलकर मुख्य सडक खसरा नम्बर 1005 से रेस्पोडेंट के खेत तक विद्यमान पूर्वजों के समय से चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को नजरअंदाज कर तथा स्पष्ट रास्ते की मौका रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन से तलब किए बिना केवल अपीलांटस के मौका रिपोर्ट जो हल्का पटवारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाए थे एवं उक्त रिपोर्ट साईक्लोस्टाईल शुदा थी जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 10.2.2022 को मौका रिपोर्ट बाबत आपत्ति आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी किंतु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति खारिज करते हुए रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए के निरस्तारण में त्रुटि कारित की व मौका रिपोर्ट पर आपत्ति निरस्तारण के पश्चात अपीलांट के आपत्ति प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था किंतु जल्दबाजी करते हुए आदेश पारित किया गया। अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 977 व 978 के सामने खसरा नम्बर 849/4985 में भी अपीलांट की भूमि पूर्व में रास्ता हेतु निशुल्क दी जा चुकी है रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र की मंद संख्या 2 में यह स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 977 व 978 के मध्य उनके पूर्वजों के समय से रास्ता खसरा नम्बर 849/4985 से होता रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 251 ए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संधारण योग्य नहीं था फिर भी उक्त तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया जो कि निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार, पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 01, 02 के हस्ताक्षर है तथा अन्य अप्रार्थीगण ने सहमति प्रकट की थी एवं मौका रिपोर्ट सही है। मौका रिपोर्ट बनाते समय अप्रार्थी की आपत्ति थी को स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट पुनः बनवायी गयी थी,इस प्रकार मौका रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र सहमति बाबत रास्ते पर अपीलांट अशोक और रेस्पोडेंट कैलाश के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि हम सभी प्रार्थी व अप्राथीगण को किसी प्रकार की रास्ते बाबत कोई आपत्ति नहीं है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 3.2.2021 से भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर 970, 976, और 977 में से दर्शित रास्ते को लघुत्तम मार्ग बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त खसरा नम्बरों 970, 976 और 977 में से लघुत्तम रास्ता ही प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट अशोक द्वारा सहमति देने के पश्चात भी प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं मौका रिपोर्ट तलब कर विधि सम्मत आदेश पारित किए जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य पाई जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 7/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.2.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 2.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर